IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानक: पथप्रदर्शक:
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्र सं0: 1714 /डब्लू–81/26 दिनांक: 14.06.2024

विवाचक पैनल हेतु सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा ठेकेदारों एवं परिषद के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण के लिए विवाचक पैनल तैयार किये जाने हेतु परिषद की वेबसाइट https://www.upavp.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप पर The Arbitration and Conciliation Act, 1996 के 8वॉं शेड्यूल के प्रस्तर (v), (vi) व (vii) में निहित अर्हतायें पूर्ण करने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/विधि अधिकारी/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों से दिनांक 22.07.2024 तक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गॉंधी मार्ग, लखनऊ पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिनके परीक्षणोपरान्त विवाचक का पैनल निर्धारित किया जायेगा।

नियम व शर्तें:–

1. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के किसी एक विवाद में मध्यस्था के लिए मध्यस्थ को अनुमन्य मानदेय की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी:–

(क) एक करोड रूपये तक के विवादों में स्थानीय कार्य हेतु रू0 2500/–(दो हजार पॉंच सौ रूपया) प्रति कार्य दिवस तथा अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु रू0 5000/–(पॉंच हजार रूपया) प्रति कार्य दिवस परन्तु अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 75000/–(पचहत्तर हजार रूपया)

(ख) एक करोड रूपये से अधिक के विवादों में स्थानीय कार्य हेतु रू0 2500/–(दो हजार पॉंच सौ रूपया) प्रति कार्य दिवस तथा अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु रू0 5000/–(पॉंच हजार रूपया) प्रति कार्य दिवस परन्तु अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 1,25,000/–(रू0 एक लाख पच्चीस हजार)

2. सेवारत न्यायिक अधिकारियों/विधि अधिकारियों/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के लिए उपरिलिखित बिन्दु संख्या–1 (क) तथा 1 (ख) में वर्णित प्रति कार्य दिवस के लिए निर्धारित दरों का आधी दर पर मानदेय अनुमन्य होगा परन्तु अधिकतम सीमा कमशः रू0 75000/–(पचहत्तर हजार रूपया) तथा रू0 1,25,000/–(एक लाख पच्चीस हजार रूपया) होगी।

3. मध्यस्थता के कार्य में निहित आशुलेखन/टंकण एवं लिपिकीय कार्य हेतु मध्यस्थ द्वारा किये गये व्यय का भुगतान नियमानुसार देय होगा।

4. विवाचक द्वारा अपना अवार्ड आर्बीट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत नियुक्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर किया जायेगा।

5. आवेदन करने वाले अधिकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय/शासन/विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही आदि सम्बन्धी कोई जॉंच विचाराधीन नहीं है।

14/06/2024

(डी0वी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में विवाचक पैनल हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।

विषयः **उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में विवाचक पैनल हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषद द्वारा विवाचक पैनल तैयार किये जाने हेतु आमंत्रित सूचना संख्या–1714/डब्लू–81/26 दिनांक 14.06.2024 में निहित नियम व शर्तों के अधीन मैं निम्नवत् वैयक्तिक विवरण के अनुसार अपना आवेदन प्रेषित करता हूँ:–

1. पूरा नामः–
2. पिता का नामः–
3. पद नामः–
4. शैक्षणिक योग्यताः–
5. यदि सेवारत, तो वर्तमान पद धारण के अनुसार अनुभव की अवधिः–
6. यदि सेवानिवृत्त, तो सेवानिवृत्ति के पद पर अनुभव की अवधिः–
7. विभाग का नामः–
8. जन्मतिथिः–
9. सेवानिवृत्त की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथिः–
10. स्थायी पताः–
11. पत्राचार का पताः–
12. मोबाईल नं0:–
13. ई–मेल पताः–
14. रू0 10/–के नान–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ–पत्र इस आशय का संलग्न करें कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय/शासन/विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही आदि सम्बन्धी कोई जॉच विचाराधीन नहीं है तथा वर्तमान में शारीरिक स्वस्थता अच्छी है।

पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटोग्राफ

हस्ताक्षरः–
नामः–
दिनांकः–

नोटः– परिषद में विवाचक पैनल में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता निम्नवत् में से कोई एक आवश्यक हैः–

1. आवेदक इण्डियन लीगल सर्विस अथवा स्टेट लीगल सर्विस के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी (न्यूनतम अपर जिला–जज) हो सकते हैं।
2. केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकम के ऐसे सेवारत/सेवानिवृत्त अभियन्ता (न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता) जिनके पास अभियंत्रण की डिग्री हो तथा न्यूनतम 10 वर्ष सेवा अभियंत्रण के पद पर धारित कर चुके हों, पात्र होगें।